FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0115 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/05/2025 18:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/05/2025 **Date To (दिनांक तक):** 15/05/2025

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:57 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/05/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/05/2025 18:24:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 70 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** POLICE THANA TODABHIM, JILA KAROLI

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAKESH KUMAR MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JAGDISH PARSAD MEENA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GAON BAL KA PURA, TODABHIM, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GAON BAL KA PURA, TODABHIM, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SITARAM		पिता:NATTHIRAM	1. PAVATA,DAUSA,RAJASTHAN,I

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली। विषयः- टोडाभीम कस्वा चौकी के भ्रष्ट एएसआई श्री सीताराम को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि मै राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा उम्र 38 साल निवासी बाल का पुरा तहसील व पुलिस थाना टोडाभीम जिला करौली का रहने वाला हूं तथा कस्वा टोडाभीम में पत्थर की टाल काम करता हूं,। दिनांक 14.03.2025 की शाम को मैरे टोडाभीम से अपने घर जाते समय हुसैन सैकेट्री के मैरिज होम के पास पंकज उर्फ तेजपाल निवासी दादनपुर एवं आर्यन उर्फ गब्बू निवासी बडापुरा व अवधेश निवासी टोडी खोररा ने मिलकर मेरे साथ बिना बजह मारपीट कर दी थी, जिसकी मैने दिनांक 15.03.2025 को पुलिस थाना टोडाभीम में रिपोर्ट कर मुकदमा नम्बर 82/2025 दर्ज करवाया, जिसकी जांच टोडाभीम कस्वा पुलिस चौकी का सीताराम ए.एस.आई. कर रहा है, उक्त एएसआई सीताराम द्वारा मेरे से उक्त मुकदमे में मेरी मदद करने एवं मुल्जिमों को गिरफ्तार कर उनका चालान पेश करने के लिये फाईल चार्ज के नाम पर 1500/- रू रिश्वत की मांग की जा रही है,। मै उसको रिश्वत नही देना चाहता, बल्कि रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं, मेरी सीताराम एएसआई से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई रूपये पैसे का लेन देन बकाया है। कार्यवाही करने की क्रपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी- राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा उम्र 38 साल निवासी बाल का पुरा तहसील व पुलिस थाना टोडाभीम जिला करौली मो. नं. 9694670841, दिनांक-13.05.025 हस्ता. जगदीश भारद्वाज पु.नि. एसीबी करौली दिनांक 13.05.2025, ह. स्वतंत्र गवाह-सागर नीमरोट व जगदीश माली दिनांक 15.05.2025 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि ब्यूरो के टोल-फ्री नम्बर 1064 पर शिकायतकर्ता परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा उम्र 38 साल निवासी बाल का पुरा तहसील व पुलिस थाना टोडाभीम जिला करौली ने मन पुलिस निरीक्षक से सम्पर्क उपरान्त दिनांक 13.05.2025 को समय 10.30 ए.एम. पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी करौली पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपर्युक्त लिखित रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के पदनाम से मुझ पुलिस निरीक्षक को पेश की। चंूकि चौकी पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद रिक्त होने तथा चार्ज मन पुलिस निरीक्षक के सुपुर्द होने से परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा बाद अवलोकन कार्यवाही करते हुये परिवादी से लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत पूछताछ की गई तो परिवादी ने स्वयं का पढालिखा होना तथा रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना एवं अंकित तथ्य सही होना बताते हुये बताया कि मै यह कार्यवाही किसी के बहकावे में आकर नहीं बल्की स्वयं की स्वेच्छा से रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। परिवादी ने मांगने पर अपना ऐड्रेस प्रूफ बाबत आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, एवं पुलिस थाना टोडाभीम में दर्ज कराई गई एफआईआर नम्बर 82/2025 की स्वप्रमाणित प्रति पेश की, परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं पेश एफआईआर एवं उससे की गई दरियाफ्त आदि से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर परिवादी को आरोपी सीताराम एएसआई से रिश्वत राशि की मांग के संबंध में वार्ता कर उक्त वार्ता को वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करके लाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि सीताराम एएसआई सुवह एवं शाम को ही बात करता है वह दिन में ईधर-उधर व्यस्त रहता है, आज शाम को तो नहीं कल दिनांक 14.05.2025 की शाम को उक्त एएसआई सीताराम से टोडाभीम कस्वा पुलिस चौकी पर जाकर रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता हो सकती है। इस पर श्री समय सिंह हैड कानि नम्बर 45 को तलब कर बुलाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया एवं आपस में एक दूसरे के मोबाईल नम्बर दिलवाये गये तत्पश्चात कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मैक मॉडल सोनी बरंग काला को निकालकर उसमें नया सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर तथा वॉईस रिकार्डर व एसडी कार्ड के किसी भी फोल्डर में पूर्व से कोई आवाज रिकार्ड नही होना सुनिश्चित कर परिवादी एवं श्री समय सिंह हैड कानि नम्बर 45 को चालू व बंद करने की विधि समझाई जाकर परिवादी को उसके कहे अनुसार पाबंद किया कि वह दिनांक 14.05.2025 की शाम को कस्वा टोडाभीम में श्री समय सिंह हैड कानि नम्बर 45 से सम्पर्क कर उसके हमराह आरोपी सीताराम एएसआई के पास पुलिस चौकी टोडाभीम में श्री समय सिंह हैड कानि नम्बर 45 से वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित प्राप्त कर आरोपी के पास जाकर उसके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के सम्बंध में गोपनीय वार्ता कर उस वार्ता को रिकार्ड करे तथा वार्ता होने के बाद वापस आकर वॉईस रिकार्डर को चालू हालत में श्री समय सिंह हैड कानि को सपुर्द करें तथा श्री समय सिंह हैड कानि नम्बर 45 को वॉईस रिकार्ड एसडी कार्ड डले सहित लेकर उपर्युक्त दिनांक को

परिवादी से सम्पर्क होने पर टोडाभीम में गन्तव्य स्थान पर पहुंचकर परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम सत्यापन कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये तथा वॉईस रिकार्डर को एसडी कार्ड सहित वापस कार्यालय आलमारी में रखा गया,तत्पश्चात समय 11.40 एएम पर परिवादी राकेश कुमार मीणा को बाद हिदायत कार्यालय से रूकसत किया गया, तथा हैड कानि समय सिंह को गोपनीयता रखने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 14.05.2025 को परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा ने जरिये दूरभाष मन पुलिस निरीक्षक को सूचना दी कि संदिग्ध आरोपी सीताराम एएसआई आज दिनांक 14.05.2025 को पुलिस चौकी टोडाभीम कस्वा में शाम को पांच बजे के आस-पास मिलेगा, जहां पर उससे रिश्वत मांग संबंधी वार्ता हो जायेगी, आप अपने कार्यालय के समय सिंह को वॉईस रिकार्डर देकर टोडाभीम भिजवा दें, तथा इसी दौरान श्री समय सिंह हैड कानि 45 द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को परिवादी द्वारा उसको फोन कर वॉईस रिकार्डर लेकर टोडाभीम आने के लिये कहा जाना बताया, जिस पर समय कार्यालय आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकालकर उसको कम्प्यूटर सीपीयू की मदद से चार्ज कर उसमें नया सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड डला हुआ सुनिश्चित कर चालू कर वॉईस रिकार्डर एवं एसडी कार्ड के किसी भी फोल्डर में पहले से कोई आवाज आदि रिकार्ड नहीं होना सुनिश्चित कर श्री समय सिंह हैड कानि को डिजीटल वॉईस रिकार्डर चालू तथा बन्द करने का तरीका बताकर कार्यालय के श्री अजय कुमार एएसआई व श्री राकेश सिंह कानि को गवाह मामूर कर उनके सामने जरिये फर्द सुपुर्द कर परिवादी राकेश कुमार मीणा के कथनानुसार गन्तव्य स्थान कस्वा टोडाभीम कस्वा में करीब चार साढे चार बजे के आस पास पहुचकर पूर्व से एवं आज हुई वार्तानुसार पाबन्द शुदा परिवादी राकेश कुमार मीणा से सम्पर्क कर उसको हमराह लेकर टोडाभीम कस्वा पुलिस चौकी के पास पहुंचकर विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित को चालू कर अपनी आवाज से टैस्ट कर दिनांक भरकर एवं परिवादी से उसका नाम बुलवाकर एवं टेप प्राप्त करने संबंधी वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी सीताराम एएसआई के पास टोडाभीम कस्वा पुलिस चौकी भेजकर संदिग्ध आरोपी एएसआई द्वारा की जा रही रिश्वत की मांग के संबंध में गोपनीय सत्यापन संबंधी वार्ता करवाकर बाद सत्यापन विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित मय परिवादी के साथ कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित होने की हिदायत देकर कार्यालय से समय करीब 01.10 पीएम पर रवाना किया गया, जो उसी रोज समय 09.30 पीएम पर उपस्थित कार्यालय आया एवं मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मै कार्यालय से जरिये प्राईवेट मोटरसाईकिल रवाना होकर परिवादी राकेश कुमार मीणा से जरिये मोबाईल सम्पर्क करता हुआ समय करीब 04.40 पी.एम. पर टोडाभीम कस्वा पहुंचा एवं परिवादी राकेश कुमार मीणा का इन्तजार किया जिसने मुझे पॉवर हाउस पर बुलाया जहां पर परिवादी उपस्थित आया जिसने मुझे बताया कि संदिग्ध आरोपी सीताराम एएसआई कस्वा पुलिस चौकी पर है जिस पर मै व परिवादी अपनी अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर कस्वा टोडाभीम में पुरानी तहसील स्थित पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचे जहां रोड के एक साईड में निर्जन स्थान पर मोटरसाईकिलों को खडा कर परिवादी के कथनो अनुसार मैने अपने पास से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर एसडी कार्ड डले सहित निकालकर चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं परिवादी से उनका नाम एवं वॉईस रिकार्डर प्राप्त करने की वार्ता को रिकार्ड कर चालू हालत में परिवादी राकेश कुमार मीणा को दिया जिसे परिवादी अपनी पैन्ट की दाहिनी जेब में रख कर अपनी मोटरसाईकिल से आरोपी सीताराम एएसआई के पास टोडाभीम कस्वा पुलिस चौकी के लिये रवाना हो गया मै भी उसके पीछे पीछे अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हो गया, परिवादी पुलिस चौकी के बाहर अपनी मोटरसाईकिल को खडी करके पुलिस चौकी के अन्दर चला गया तथा मै अपनी मोटरसाईकिल को पुलिस चौकी के सामने रोड पर पुलिस चौकी से करीब 30 मीटर दूर खडी करके उस पर बैठकर परिवादी पर निगरानी रखते हुये उसके वापस आने के इन्तजार करने लगा, पुलिस चौकी पर बाहर ही पत्थर की पट्टी पर एक व्यक्ति बैठा था उसकी बगल में परिवादी बैठ गया और आपस में वे दोनो बातें करने लगे, कुछ समय के बाद परिवादी पुलिस चौकी से बाहर आया और अपनी मोटरसाईकिल को स्टार्ट कर उस पर बैठकर चलकर और मुझे हाथ से अपने पीछे आने का ईशारा कर आगे निकल गया मै भी उसके पीछे पीछे आ गया, कुछ दूरी पर जाकर परिवादी अपनी मोटरसाईकिल को पॉवर हाउस के पास रोककर खडा हो गया, मै भी उसके पीछे पीछे उसके पास पहुंच गया जहां पर परिवादी ने अपने पास से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित निकालकर मुझे दिया जो चालू हालत में था जिसे मैने लेकर बन्द कर अपने पास बिना छेडछाड किये सुरक्षित रख लिया, उसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि जो व्यक्ति पुलिस चौकी के बाहर पत्थर पट्टी पर बैठा था वही ए.एस.आई. सीताराम था जिससे मेरी मेरे द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे के संबंध में बातचीत हो गई है उसने मेरे द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमा में कार्यवाही करने एवं मुल्जिमों को पकडकर उनके खिलाफ चालान करने एवं मेरी पूरी मदद करने की एवज में फाईल चार्ज के नाम पर कम्प्यूटर वाले को देने की कहकर स्वयं के लिये 1500 रूपये रिश्वत राशि की मांग की है एवं मेरे निवेदन करने पर रिश्वत राशि लेकर कल दिनांक 15.05.2025 को चौकी पर ही बुलाया है मेरे व एएसआई के बीच में जो रिश्वत मांग के संबंध में बात हुई है उसे वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है। जिसके बारे में मन हैड कानि द्वारा आपको जरिये व्हाटस-एप वाईस कॉल अवगत करा दिया था एवं परिवादी से भी वार्ता कराई थी, तो आपके द्वारा मुझ हैड कानि को परिवादी सहित शीघ्र ही कार्यालय में आने के निर्देश दिये, जिस पर परिवादी ने कहा कि मुझे अपने घर पर आवश्यक कार्य से गांव जाना जरूरी है तथा आरोपी एएसआई द्वारा मांगी गई 1500 रूपये की राशि का

इन्तजाम भी करना है, मै राशि का इन्तजाम कर कल दिनांक 15.05.2025 को सुवह आपके कार्यालय में हाजिर हो जाउंगा, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपसे वार्ता की एवं परिवादी से वार्ता कराई, तत्पश्चात आपके निर्देशानुसार परिवादी को कस्वा टोडाभीम से रवाना कर मन हैड कानि जरिये प्राईवेट मोटरसाईकिल रवाना होकर टोडाभीम से वापस आया हूं। इस पर श्री समय सिंह हैड कानि से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित गवाहान के सामने जरिये फर्द प्राप्त कर उसको सरकारी लेपटोप तोसीबा की मदद से चलाकर उसमें रिकार्ड वार्ता को स्पीकर की मदद से सुना गया तो उसमें रिकार्ड वार्ता से आरोपी सीताराम एएसआई द्वारा परिवादी से उसके द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमा में मदद करने एवं आरोपियों को पकडकर उनका चालान न्यायालय पेश करने के बदले में फाईल चार्ज के नाम पर कम्प्यूटर वाले को देने की कहकर स्वयं के लिये 1500 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत राशि लेकर दिनांक 15.05.2025 वार गुरूवार को पुलिस चौकी टोडाभीम पर बुलाया जाना स्पष्ट पाया गया है। डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित को सुरक्षित मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने स्वयं के कब्जे की कार्यालय आलमारी में रखा जाकर आलमारी को लॉक किया गया। इसके बाद दिनांक 15.05.2025 को समय 08.10 एएम पर परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा उपस्थित कार्यालय आया एवं मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 14.05.2025 को मैने आरोपी सीताराम एएसआई की टोडाभीम कस्वा पुलिस चौकी पर उपस्थिति के बारे में जानकारी की तो एएसआई के पुलिस चौकी पर होने की जानकारी मिली, जिस पर मेरे द्वारा आपको श्री समय सिंह कर्मचारी को वॉईस रिकार्ड सहित मेरे पास टोडाभीम कस्वा भिजवाने को फोन किया एवं समय सिंह से भी फोन पर वार्ता की थी। इसके बाद समय करीब 04.45 पीएम के आस पास मुझे आपका कर्मचारी श्री समय सिंह टोडाभीम कस्वा में पॉवर हाउस के पास मिल गया था, जिसे मैने बताया कि आरोपी सीताराम एएसआई पुलिस चौकी टोडाभीम पर है, जिस पर मै और समय सिंह दोनो अपनी अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर पुलिस चौकी कस्वा टोडाभीम से कुछ दूरी पर पुरानी तहसील व पोस्ट ऑफिस के पास जाकर रूके और रोड के साईड में निर्जन स्थान पर मोटरसाईकिलों को रोका, जहां पर समय सिंह ने अपने पास से डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड लगे सहित निकालकर चालू कर अपनी आवाज से टेस्ट कर एवं दिनांक भरकर एवं मुझसे मेरा नाम एवं वॉईस रिकार्डर प्राप्त करने की वार्ता बुलवाकर उसे रिकार्ड कर चालू हालत में मुझे दिया था जो मैने चालू हालत में अपनी पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिया था, उसके बाद मै वॉईस रिकार्डर सहित अपनी मोटरसाईकिल से आरोपी एएसआई के पास पुलिस चौकी टोडाभीम कस्वा के लिये रवाना हो गया तथा मेरे पीछे पीछे समय सिंह भी अपने मोटर साईकिल से रवाना हो गये थे, मै पुलिस चौकी टोडाभीम कस्वा के बाहर पहुंचा तथा समय सिंह भी मेरे पीछे पीछे आ गये और चौकी के पास रोड के साईड में अपनी मोटरसाकिल सहित खडे हो गये, मै अपनी मोटरसाईकिल चौकी परिसर में खडी कर चौकी के अन्दर गया तो सीताराम एएसआई मुझे चौकी के बाहर पत्थर की पट्टी पर ही बैठे मिले गये, मै भी उनके पास पत्थर पट्टी पर बैठ गया और उनसे मैने मेरे द्वारा दर्ज कराये हुये मुकदमें के बारे में बातचीत की तो उन्होने मेरे द्वारा दर्ज कराये हुये मुकदमा में कार्यवाही करने एवं मुल्जिमों को पकडकर उनके खिलाफ चालान करने एवं मेरी पूरी मदद करने की एवज में फाईल चार्ज के नाम पर कम्प्यूटर वाले को देने की कहकर 1500 रूपये की मांग की जिस पर मैने काफी निवेदन किया तो उन्होने कहा कि कम्प्यूटर वाले को देने है तथा मेरे निवेदन करने पर रिश्वत राशि लेकर कल दिनांक 15.05.2025 को चौकी पर ही बुलाया है मेरे व एएसआई के बीच में जो रिश्वत मांग के संबंध में बात हुई उसे वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया और बातचीत करने के बाद मै चौकी से बाहर आया और अपनी मरेटरसाईकिल लेकर समय सिंह को अपने पीछे आने का ईशारा कर चौकी से काफी दूरी पर कस्वा टोडाभीम में पॉवर हाउस के पास जाकर रूक गया जहां पीछे से समय सिंह भी आ गये, जहां पर मैने वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित चालू हालत में समय सिंह को दे दिया, जिसे समय सिंह ने बन्द कर अपने पास रख लिया, फिर मैने समय सिंह को सीताराम से हुई रिश्वत मांग संबंधी सभी बातें बता दी, जिसके बारे में समय सिंह जी ने आपको फोन से अवगत करा दिया था तथा मैने भी आपसे वार्ता कर सभी बातें बता दी थी फिर मैने समय सिंह से उनके द्वारा मुझे साथ लेकर करौली आपके पास लेकर आने की कहने पर उनको कहा था कि मुझे आवश्यक कार्य से गांव जाना जरूरी है तथा आरोपी एएसआई द्वारा मांगी गई 1500 रूपये की राशि का इन्तजाम भी करना है, तथा राशि का इन्तजाम कर मै आपके कार्यालय में कल दिनांक 15.05.2025 को सुवह हाजिर हो जाउंगा, जिसके संबंध में समय सिंह ने आपसे वार्ता की थी एवं मेरी भी आपसे वार्ता कराई थी, उसके बाद मै टोडाभीम कस्वा से अपने घर के लिये रवाना हो गया था और समय सिंह वॉईस रिकार्डर को लेकर अपनी मोटरसाईकिल से करौली के लिये रवाना हो गये थे, आरोपी सीताराम एएसआई द्वारा मांगी गई 1500 रूपये की रिश्वत राशि का इन्तजाम कर साथ लेकर आज आया हूं। परिवादी ने पूछने पर बताया कि मै किसी कम्प्यूटर वाले को नहीं जानता हूं और ना ही कभी मिला हूं संदिग्ध आरोपी सीताराम एएसआई ने कम्प्यूटर वाले के नाम से स्वयं के लिये मुझसे 1500 रूपये रिश्वत में मांगे है तथा एएसआई ही उक्त राशि को स्वयं ही लेगा। परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया, और श्री श्याम सिंह कानि नम्बर 599 को तहरीर सहित कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(पवस) जयपुर डिस्कॉम वृत करौली भेजकर दो गवाह श्री सागर नीमरोट सहायक लेखाधिकारी एवं जगदीश माली अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को तलब कर बुलाया जाकर उनसे नाम पते पूछकर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की मौखिक सहमति प्राप्त की, तत्पश्चात दोनो गवाहों का परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक

13.05.2025 को दिखाया जाकर पढवाया गया तो गवाहों ने रिपोर्ट को पढकर एवं परिवादी से वार्ता कर रिपोर्ट पर अपने अपने बतौर प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर दिनांक सहित किये गये। इसके बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के रिकार्ड शुदा मूल विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी एवं संदिग्ध आरोपी श्री सीताराम एएसआई के मध्य दिनांक 14.05.2025 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को दोनो गवाहान के सामने एवं परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक की आलमारी को लॉक खोलकर उसमें से निकालकर उसे लेपटॉप तोसीबा कम्पनी में लगाकर चलाकर सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड के फाईल फोल्डर-01-250514-1719 में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण कानि श्री केशव देव शर्मा कानि से तैयार करवाया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री केशवदेव शर्मा कानि से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईव सेंडिस्क 32 जीबी मार्क-ए-1 न्यायालय प्रति एवं मुलजिम प्रति मार्क-ए-2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क-ए-3 में संग्रहित करवाई जाकर वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईवों को पैनड्राईव कबरों में सुरक्षित रख कवर के उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क अंकित कर उन्हें अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति मार्क ए-3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव मार्क-ए-1 एवं मुलजिम प्रति मार्क ए-2 को शील्ड मोहर किया गया तथा मूल डिजीटल वॉईस रिकार्डर में से रिकार्ड वार्ता के मूल सेंडिस्क 32 जीबी माईक्रो एसडी कार्ड को बाहर निकालकर उसको कवर में रखकर उसे सुरक्षित कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क-ए अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया तथा आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क-ए-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। मूल एसडी कार्ड एवं डब पैनड्राईवों की हेस वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई तथा बजह सबूत सील्ड पैनड्राईव मार्क-ए-1, ए-2 एवं मूल एसडी कार्ड मार्क-ए को मालखाना प्रभारी सुमेर सिंह हैड कानि0 70 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने मन पुलिस निरीक्षक के मांगने पर परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा ने संदिग्ध आरोपी सीताराम एएसआई को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 03 नोट कुल 1500 रूपये (भारतीय चलन मुद्रा) के अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान गवाहान से बोल बोलकर करवाया गया। तत्पष्चात श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से एक साफ अखबार मन पुलिस निरीक्षक कक्ष में रखी साफ टेबिल के उपर बिछवाकर उस अखवार के उपर थोडा सा फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 1500 रूपये के नोटो पर अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश माली से लिवाई गई जिसमें परिवादी के पास उसके बदन पर पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन एवं मोटरसाईकिल की चाबी के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु रूपया पैसा आदि नही रहने दिया गया, इसके बाद श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 500-500 रूपये के 03 नोट कुल 1500 रूपये के नोटो को संदिग्ध आरोपी सीताराम एएसआई को दिये जाने के लिये परिवादी के पहने हुये पेन्ट की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब के अन्दर रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी एएसआई के मांगने पर ही निकालकर उसको देवे तथा आरोपी उक्त रिश्वती नोटों को प्राप्त करके कहां पर रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी एससआई द्वारा रिश्वती प्राप्त करने पर कोई बहाना बनाकर बाहर आकर मौका स्थिति अनुसार अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन पुलिस निरीक्षक के या समय सिंह हैड कानि के मोबाईल पर मिसकॉल कर ईशारा करे, साथ ही दोनों गवाहों को भी जहां तक संभव हो सके परिवादी व आरोपी एससआई के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का हर संभव प्रयास करने की हिदायत दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश माली से एक नये साफ प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय में लगे हुये आरओ से साफ पानी भरवाकर मंगवाया और मुख्य आरक्षक श्री सुमेर सिंह से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर उसमें से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उसमें से थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री जगदीश माली से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के भरे पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला साफ सफेद ही रहा जिसे हाजरीन को दिखाया जाकर प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के साफ सफेद घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने देखकर गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को नोटो पर लगाये गये फिनोफ्थलीन पाउडर एवं गिलास में डाले गये सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री जगदीश माली के मार्फत उसके हाथ साबुन व साफ

पानी से साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक से प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार व प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथों को साबुन व साफ पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीषीयां मय ढक्कन चम्मच आदि को सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा साथ ही स्टोर प्रभारी से खाली नये सैंडिस्क 32 जीबी पैनड्राईवों को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान परिवादी तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपने-अपने हाथ अलग अलग सैम्पू साबुन व साफ पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों की एवं मन पुलिस निरीक्षक की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें किसी के पास अपने अपने पहचान पत्र एवं मोबाईल फोनो के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत लेन-देन के समय आरोपी एएसआई से होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में नया 32 जीबी एसडी कार्ड लगाकर तथा खाली होना सुनिश्चित कर चालू व बन्द करने की विधि समझाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया, एवं श्री समय सिंह व सुमेर सिंह हैड कानि को मौका स्थिति अनुसार वॉईस रिकार्डर परिवादी के आरोपी के पास जाने से पहले चालू करने की हिदायत दी गई। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिव की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गये। इसके बाद समय 01.50 पीएम पर कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को साबुन व पानी से साफ करवाया जाकर परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा उसके द्वारा लाई हुई मोटर साईकिल से श्री सुमेर सिंह हैड कानि सहित बाद हिदायत आगे आगे रवाना कर समय करीब 02.00 पीएम पर उनके पीछे पीछे श्री श्याम सिंह कानि. 599 व श्री विष्णु सिंह कानि0 135, श्री राकेश सिह कानि नम्बर 268, श्री समय सिंह हैड कानि. नं.45 को श्याम सिंह कानि की निजी कार से रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक जगदीश भारद्वाज मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री सागर नीमरोट व श्री जगदीश माली एवं श्री अजय कुमार एएसआई, श्री केश वदेव शर्मा कानि 600 को मय सरकारी बीडीयों कैमरा सहित मय ट्रेप वोक्स एवं लेपटोप मय प्रिन्टर आदि सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी मय चालक बृजेश कुमार मीणा के लेकर एसीबी कार्यालय करौली से परिवादी द्वारा दी गई सूचना अनुसार वास्ते ट्रेप कार्यवाही टोडाभीम कस्बे के लिये रवाना हुआ, कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक को एवं श्री गोपेन्द्र सिंह कानि 277 बाद हिदायत छोडा गया। इसके बाद समय 04.03 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा कस्वा टोडाभीम में नया बाईपास रोड पर पहुंचा जहां पर रोड के साईड में पूर्व से रवाना शुदा परिवादी एवं हैड कानि सुमेर सिंह मोटरसाईकिल सहित एवं श्याम सिंह कानि0निजी कार सहित मय स्टाफ के खडे मिले वहां पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सरकारी वाहन को खडा करवाया जाकर परिवादी के कहे अनुसार उसकी आरोपी सीताराम एएसआई से उसकी उपस्थिति/लोकेशन जानने के लिये परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी सीताराम एएसआई से उसके मोबाईल नम्बर- [redacted] पर कॉल करवाकर वार्ता कराई तो आरोपी ने अपना पुलिस थाना टोडाभीम पर होना बताते हुये परिवादी को थाने पर आने को कहा तो परिवादी ने 10-15 मिनट में थाने पर आने की कहा गया, उक्त वार्ता को परिवादी के पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया किन्तु तकनीकी कारणों से उक्त वार्ता रिकार्ड नहीं हुई। तत्पश्चात समय करीब 04.15 पीएम पर परिवादी को हैड कानि सुमेर सिंह के हमराह परिवादी की मोटरसाईकिल से आरोपी के पास पुलिस थाना टोडाभीम के लिये रवाना किया गया तथा उसके पीछे पीछे श्री श्यामसिंह कानि को उसकी कार से उसमें पूर्व से साथ आये हुये स्टाफ सहित रवाना किया तथा उनके पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय गवाह व स्टाफ आदि सामान सहित जरिये सरकारी वाहन मय चालक के लेकर रवाना होकर समय 04.20 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान व स्टाफ के जरिये सरकारी वाहन पुलिस थाना टोडाभीम के पास पहुंचा, जहां पर श्याम सिंह कानि अपनी निजी कार से जाप्ता सहित थाने से कुछ दूरी पर सडक के एक साईड में वाहन सहित खडा हो गया तथा परिवादी और सुमेर सिंह हैड कानि मोटरसाईकिल से आगे आगे चलकर पुलिस थाना टोडाभीम के बाहरी गेट पर पहुंचे और परिवादी अपनी मोटरसाईकिल को बाहर खडी करके थाने के अन्दर चला गया तथा सुमेर सिंह हैड कानि. परिवादी की मोटरसाईकिल के पास अपने आपको छिपाता हुआ खडा हो गया, जिस पर मन पुलिस मय गवाहान स्टाफ सहित सरकारी वाहन को श्याम सिंह कानि0 के जाप्ता सहित खडे हुये वाहन के पीछे ही कुछ दूरी पर सडक के बांयी साईड में सरकारी वाहन को खडा करवाकर परिवादी के नियत ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ, जहां से समस्त जाप्ता, परिवादी से सीधा सम्पर्क है। इसके बाद समय 04.57 पीएम पर दोनो गवाहों के सामने परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा ने पुलिस थाना टोडाभीम परिसर में से पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी के पास थाना परिसर में पहुँचा तथा परिवादी से वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया, तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि श्री सीताराम एएसआई ने पुलिस थाना टोडाभीम के अन्दर मैंन गेट के पास कुर्सी पर वर्दी पहनकर बैठे हुये ने मुझसे 1500 रूपये मांगकर दाहिने हाथ में लेकर दोनों हाथों से गिनकर अपने अपनी वर्दी की खाकी पेन्ट की दांहिनी साईड की बगल वाली जेब के अन्दर रख लिये है जो कुर्सी पर बैठे हुये है, इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहन व स्टाफ सदस्यों

को साथ लेकर हमराह परिवादी के पुलिस थाना टोडाभीम के मैन गेट से होकर अन्दर प्रवेश कर तथा कार्यवाही की सरकारी विडियों कैमरा से श्री केशवदेव कानि 600 को विडियोग्राफी करने की हिदायत देते हुये अन्दर पहुचां तो गेट के पास कुर्सी टेबल डाले कुर्सी पर बैठा हुआ एक व्यक्ति बाबर्दी मिला जिसकी वर्दी की शर्ट की दांहिनी जेब के उपर सीताराम नाम की नाम प्लेट लगी हुई एवं कंन्धे पर एक-एक स्टार लगा हुआ है। जिसको परिवादी के बताये अनुसार मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयरन का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम सीताराम एएसआई, पुलिस थाना टोडाभीम जिला करौली एवं एसएचओ के मौखिक निर्देशानुसार इंचार्ज पुलिस चौकी कस्बा टोडाभीम होना बताया, जिससे परिवादी से वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 14.05.2025 को 1500 रूपये रिश्वत राशि की मांग करने एवं उक्त मांग के अनुशरण में आज दिनांक 15.05.2025 को प्राप्त की गई 1500 रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी सीताराम एएसआई ने बताया कि-मैने इस राकेश कुमार मीणा से इसके द्वारा दर्ज कराये हुये मुकदमा नम्बर 82/2025 जो मेरे पास अनुसंधान अधिकारी की हैसियत से जैर अनुसंधान है मे मदद करने और मुलजिमान को पकडकर उनका चालान करने व फाईल चार्ज के नाम पर कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है, इन्होने मुझे इस मामले में जबरदस्ती फंसाया है, दिनांक 14.05.2025 को यह मेरे पास पुलिस चौकी कस्बा टोडाभीम पर आकर मिला था और मुझे मुकदमा में मुल्जिमानों को पकडकर कर उनका चालान करने का दबाब बनाकर मुझे अपनी तरफ से फाईल खर्चा के 1500 रुपये की देने की कहा था और आज इसने मुझे फंसाने की नियत से बिना मांगे 1500 रुपये जबरदस्ती दिये गये है। इसके द्वारा दर्ज कराया गया मुकदमा मेरे पास आज भी जैर अनुसंधान है जो अब तक के अनुसंधान से मुल्जिमान के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित है। मैंने इस राकेश कुमार मीणा से ना तो कोई रिश्वत मांगी और ना ही ली है इसने मुझे जबदस्ती पैसे देकर गलत फंसाया है। इसके बाद उपस्थित परिवादी राकेश कुमार मीणा से सीताराम एएसआई द्वारा बताये गये कथनों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने सीताराम एएसआई के कथनों का झूंठा होना बताते हुये बताया कि- दिनांक 14.03.2025 की शाम को मैरे टोडाभीम से अपने घर जाते समय हुसैन सैकेट्री के मैरिज होम के पास पंकज उर्फ तेजपाल निवासी दादनपुर एवं आर्यन उर्फ गब्बू निवासी बडापुरा व अवधेश निवासी टोडी खोररा ने मिलकर मेरे साथ बिना बजह मारपीट कर दी थी, जिसकी मैने दिनांक 15.03.2025 को पुलिस थाना टोडाभीम में रिपोर्ट कर मुकदमा नम्बर 82/2025 दर्ज करवाया, जिसकी जांच यह सीताराम ए.एस.आई. कर रहे थे, इनसे मैं अपने मुकदमें की जानकारी के लिये मिला तो इन्होने मेरे से उक्त मुकदमे में मेरी मदद करने एवं मुल्जिमों को गिरफ्तार कर उनका चालान पेश करने के लिये फाईल चार्ज के नाम पर 1500 रूपये देने का दबाब बनाया तो मैनें आपके विभाग के टोल फ्री नम्बर 1064 पर शिकायत कर दी जहां से आपका मोबाईल नम्बर देने पर मैने आपसे सम्पर्क किया और दिनांक 13.05.2025 को आपके कार्यालय करौली में आपके पास जाकर सीताराम एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने के लिये लिखित शिकायत दी थी जिस पर आपके द्वारा दिनांक 14.05.2025 को मुझे अपने कर्मचारी समय सिंह के जरिये वाईस रिकॉर्डर सहित इन सीताराम एएसआई साहब के पास पुलिस चौकी टोडाभीम कस्बा भेजकर रिश्वत मांग का सत्यापन कराया तो इन्होने दौराने सत्यापन मुझसे मेरे मुकदमें मदद करने व मुलजिमानों को गिरफतार कर चालान करने की कहकर फाईल चार्ज के नाम पर कम्प्यूटर वाले को देने की कहकर स्वंय के लिये 1500 रुपये रिश्वत राशि की मांग की थी और उसी मांग के अनुसंरण में आज दिनांक 15.05.2025 को मुझे थाना टोडाभीम में बुलाकर 1500 रुपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने दांहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई वर्दी की पेन्ट की दांहिनी साईड की बगल वाली जेब में रख लिये उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ इशारा कर दिया जिस पर आपने आकर इनको पकड लिया। परिवादी के उक्त कथनों के सम्बन्ध में एक बार पुनः सीताराम एएसआई से पूछा गया तो उसने अपने पूर्व के कथनों के अलावा अन्य कोई नई बात नहीं बताई सिर्फ बताया कि उसको परिवादी द्वारा गलत फंसाया गया है। आरोपी सीताराम एएसआई को परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा से प्राप्त की गई 1500 रूपये की रिश्वत राशि को पेश करने के लिए कहा तो कुछ नहीं बोला पुनः बार-बार कहने के बाबजूद भी राशि बाबत कोई जवाब नहीं दिया जाने पर गवाह श्री सागर नीमरोट सहायक लेखाधिकारी से आरोपी सीताराम एएसआई के बदन पर पहनी हुई वर्दी की खाकी पेन्ट की दांहिने साईड की बगल वाली जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब के अंदर से 500-500 रूपये के 3 नोट मुडी हुई अवस्था में मिले जिनको जेब से बाहर निकलवाकर उक्त गवाह से उक्त राशि को गिनवाया गया तो पॉच पॉच सौ रूपये के 3 नोट कुल 1500 रूपये मिले, उक्त बरामद शुदा 1500 रूपये के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। उक्त नम्बरी राशि 1500 रुपये को बतौर सुरक्षा स्वतन्त्र गवाह श्री सागर नीमरोट के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात श्री सुमेर सिंह हैड कानि 70 से वाहन में से ट्रेप बॉक्स निकलवाकर मंगवाया गया और उनमें थाना परिसर से पानी की बोतल मंगवाकर उक्त डिस्पोजल गिलासों में गवाह श्री जगदीश माली अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से पानी भरवाकर तथा उक्त गवाह से ही उनमें थोडा-थोडा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी सीताराम एएसआई के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का मामूली सा गुलाबी हो गया जिसे

संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का मामूली सा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क- RH 1, RH2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी सीताराम एएसआई के बांये हाथ की अंगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क LH1, LH2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये दोनो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात गवाह श्री सागर नीमरोट के पास पूर्व में आरोपी सीताराम एएसआई के कब्जे से उसके पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब से मिली रिश्वत राशि 1500 रुपयों को पुनः गवाहन से चेक करवाया जाकर नोटो के नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित कराया जाकर बरामद शुदा नम्बरी 1500 रुपये के नोटों को पीले कागज के लिफाफे में रखवाकर विवरण लिफाफे के उपर वर्णित कर उक्त लिफाफे को सील्ड मौहर कर दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी सीताराम एएसआई बदन पर पहनी हुई वर्दी की खाकी पेन्ट को ससम्मान बदन से उतरवाया जाकर थाना स्टाफ से दूसरे सिविल पेन्ट शर्ट मंगवाकर पेन्ट को पहनवाया गया, तथा उतारी हुई खाकी वर्दी की पेंट की दांहिनी साईड की बगल वाली जेब के अतिरिक्त अन्य जेबो की तलाशी गवाह से लिवाई गई तो पेन्ट की पीछे की जेब में एक काले रंग का पर्स मिला जिसको गवाह से चेक करवाया गया तो उक्त पर्स के अन्दर कुल 850 रुपये तथा रोडवेज स्मार्ट कार्ड, आरजीएचएस कार्ड, स्वंय का परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, जनआधार कार्ड मिले तथा शर्ट की तलाशी गवाह से लिवाई जाने पर कोई आपत्ति जनक रुपया पैसा आदि नहीं मिला। पेन्ट की जेब में मिले पर्स के अन्दर नकद राशि 850 रुपये आदि सामान को आरोपी के कहे अनुसार श्री सुरेश चन्द एएसआई पुलिस थाना टोडाभीम को सुपुर्द किया गया तथा ड्राईविंग लाइसेन्स की पत्रावली पर रखी गई तथा पहनी हुई खाकी वर्दी की शर्ट को बदन से उतरवाकर सिविल शर्ट पहनवाई गई तत्पश्चात पूर्व की भांति एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को कानि0 श्याम सिंह से ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर साफ पानी से साफ करवाया जाकर उसमें पानी भरवाकर उसमें गवाह श्री जगदीश माली अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से उसके दोनो हाथ साबुन व पानी से साफ कराने के बाद थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी सीताराम एएसआई के बदन से उतरवाये हुये खाकी पेंट की दांहिनी साईड की बगल वाली जेब को उलटवाकर उक्त गवाह से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी सम्ब्न्धितों ने देखकर धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा आधा डलवाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क P1 व P2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया, तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात उक्त खाकी पेंट की धुलाई हुई दांहिनी साईड की बगल वाली जेब को सुखवाकर उस पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर खाकी पेंट को सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर कपडे की थैली पर मार्क P अंकित कर थैली के उपर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉडर एसडी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट एवं पैनड्राईव पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी सीताराम एएसआई से परिवादी श्री राकेश कुमार मीणा द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमा नम्बर 82/2025 की अनुसंधान पत्रावली के बारे मे पूछा तो उसने उक्त पत्रावली थाना टोडाभीम के अन्दर कम्प्यूटर कक्ष में रखी होना बताया जो प्रथक से बरामद कर जप्त की जावेगी। इसके बाद परिवादी एवं आरोपी श्री सीताराम एएसआई से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, इस पर दोनों ने ही अपनी-अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। वक्त कार्यवाही बरामदगी व हाथ आदि धुलाई की विभागीय बीडीयो कैमरा से जरिये केशवदेव कानि. नम्बर 600 से कराई गई बीडीयोग्राफी की पृथक से पैनड्राईव व फर्द तैयार की जावेगी। इस समस्त कार्यवाही फर्द मुर्तिव कर फर्द पर पीतल की नमूना सील नं. 32 का नमूना अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्षा मौका एवं हालात मौका पूर्ण एवं पर्याप्त रोशनी में तैयार कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं आरोपी सीताराम एएसआई की दिनांक 15.05.2025 को थाना हाजा की डीओ डयूटी होने संबंधी रजिस्टर के पृष्ठ की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई, तत्पष्चात परिवादी के कार्य से सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 82/2025 की मूल अनुसंधान पत्रावली श्री जितेन्द्र कुमार हैड कानिस्टेबल 1562 पुलिस थाना टोडाभीम द्वारा पुलिस थाना के कम्प्यूटर कक्ष मे से लाकर पेश करने पर उसकी फोटोप्रति मय फाईल कवर सहित करवाई जाकर उन्हें थानाधिकारी से प्रमाणित करवाकर मूल अनुसंधान पत्रावली श्री जितेन्द्र कुमार हैड कानि 1562 को सुपुर्द कर प्रमाणित फोटोप्रतियों पर प्रथम एवं

अंन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत जरिये फर्द जप्ति जप्त किया गया। इसके बाद समय 08.00 पीएम पर आरोपी सीताराम एएसआई,को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) में बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये गये, गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की स्वयं की इच्छा अनुसार श्री सुरेशचन्द एएसआई पुलिस थाना टोडाभीम को एवं परिजनों को दी गई। इसके बाद समय 08.44 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही सम्बन्धित रपट पुलिस थाना टोडाभीम के ऑनलाईन रोजनामचाआम में दर्ज कराकर रपट नकल प्राप्त कर शामिल पत्रावली की जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री सीताराम एएसआई को व जप्त शुदा समस्त आर्टिकल्सों/सामान को साथ लेकर मय ट्रेप बौक्स, लेपटोप प्रिंटर, सरकारी बीडियो कैमरा आदि के जरिये सरकारी/प्राईवेट वाहनों परिवादी की निजी मोटरसाईकिल के घटना स्थल पुलिस थाना टोडाभीम से रवाना होकर सम य 10.50 पीएम पर वापस एसीबी कार्यालय करौली आया, जहां पर बजह सबूत समस्त आर्टिकल मय रिश्वत राशि , धोवन की सील्ड शीशियों, पैन्ट पैकिट को जमा मालखाना जरिये मुख्य आरक्षक सुमेर सिंह करवाया गया तथा गिरफतार शुदा आरोपी सीताराम एएसआई को जाप्ता की निगरानी में कार्यालय में रखा गया, इसके बाद गिरफ्तार आरोपी सीताराम एएसआई को खाना खिलाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली करौली जरिये जाप्ता भिजवाया जाकर बन्द हवालात करवाया गया, तत्पष्चात परिवादी से प्राप्त शुदा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जिसमें दिनांक 15.05.2025 को आरोपी सीताराम एएसआई एवं परिवादी राकेश कुमार मीणा के मध्य वक्त रिश्वत लेन-देन रूबरू हुई वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी की मौजुदगी में सरकारी लेपटॉप तोसीबा कम्पनी से चलाकर कर उसमें रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता को टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं गवाहान व परिवादी को सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की परिवादी से आवाज की पहचान कराकर फर्द ट्रासक्रिप्ट एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री केशवदेव कानि से तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री केशवदेव शर्मा कानि से उक्त रिकार्ड रिश्वत लेन-देन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से तीन नये खाली पैनड्राईवों सैंडिस्क 32 जीबी न्यायालय प्रति मार्क बी1 एवं मुलजिम प्रति मार्क बी2 एवं आई.ओ. प्रति मार्क बी3 में संग्रहित करवाई जाकर रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईवों को अलग अलग कवरों में रखवाकर उनके उपर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर अलग अलग कपड़े की थैलियों में रखा जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति पैनड्राईव मार्क बी3 के अलावा पैनड्राईव न्यायालय प्रति मार्क बी1 एवं पैनड्राईव मुलजिम प्रति मार्क बी2 को अलग अलग कपडे की थैलियों में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल एसडी कार्ड सेंडिस्क 32 जीबी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क बी अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क बी अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति पैन्ड्राईव मार्क बी 3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड एवं संग्रहित पैनड्राईवों की हैस वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट आउट लेकर हस्ताक्षर कराये गये, तत्पश्चात सरकारी बीडियो कैमरा में करवाई गई कार्यवाही सबंधी बीडीयोग्राफी को तीन नये खाली पैनड्राईवों में जरिये कानि केशवदेव शर्मा संग्रहित करवाई जाकर मार्क सी 1 व सी 2 एवं सी 3 अंकित करवाकर पैनड्राईव मार्क सी1 व सी 2 को कबरों में अलग अलग रखकर उन्हें कपडे की थैलियो में अलग अलग सील्ड मौहर कर थैलियों के उपर भी मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक पैनड्राईव मार्क सी3 को कवर में रख कपडे की थैली में रखवाकर सम्बन्धितों के हसताक्षर कराकर थैली पर मार्क अंकित कर वास्ते अनुसंधान खुला रखा गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिव कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 03.10 एएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की नमूना सील नम्बर (32) को पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया एवं उक्त नष्ट शुदा नमूनाशील को पृथक से एक कपड़े की थैली में रख सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क एनएस 32 अंकित कर कार्यालय की बिना नम्बरी सील से शील्ड मोहर किया गया। फर्द नष्ट नमूना पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद जप्त/सील्ड माल वजह सबूत को एचएम मालखाना श्री सुमेर सिंह को सुरक्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद जाप्ता को पुलिस थाना कोतवाली करौली भेजकर गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को हवालात से प्राप्त कर कार्यालय में बुलाया जाकर मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया, तथा अभियुक्त श्री सीताराम एएसआई से परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि एवं पैडिंग कार्य के बारे में पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट मुर्तिव किया गया तथा दोनो गवाहों एवं परिवादी को बाद हिदायत कार्यालय से रूखसत किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश विशिष्ठ न्यायालय भ्र0 नि0 अधि0 भरतपुर में वास्ते जेसी पेश किया जावेगा। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी सीताराम एएसआई इंचार्ज पुलिस चौकी कस्बा टोडाभीम, पुलिस थाना टोडाभीम जिला करौली द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने पदीय कर्तव्य को करने में भ्रष्ट तरीका अपनाकर परिवादी राकेश कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा उम्र 38 साल निवासी बाल का पुरा तहसील व पुलिस थाना टोडाभीम जिला करौली से उसके द्वारा पुलिस थाना टोडाभीम कें दर्ज कराये गये मुकदमा नम्बर 82/2025 दिनांक 15.03.2025 अन्तर्गत धारा 115 (2), 126(2), 125, 352, 351(2),3(5)

बीएनएस में बाहैसियत तफ्तीशी अधिकारी होते हुये उक्त मुकदमा में परिवादी की मदद करने एवं मुल्जिमान को पकडकर उनका चालान पेश न्यायालय करने की एवज में फाईल चार्ज के नाम पर स्वयं के लिये वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 14.05.2025 को 1500 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर अपनी उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 15.05.2025 को परिवादी को पुलिस थाना टोडाभीम पर बुलाकर स्वंय का बाबर्दी पुलिस थाना टोडाभीम पर डी.ओ. ड्यूटी पर उपस्थित होते हुये परिवादी से रिश्वती राशि 1500 रूपये मांगकर प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई 1500 रूपये की रिश्वत राशि उसके कब्जे से बदन पर पहनी हुई खाकी बर्दी की पैन्ट की दाहिनी साईड की बगल वाली जेब के अन्दर से तथा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 82/2025 की पत्रावली थाना टोडाभीम के कम्प्यूटर कक्ष में से बरामद होना पाया गया है। अतः श्री सीताराम पुत्र स्व. श्री नत्थीराम जाति जाटव उम्र 57 साल निवासी पावटा पुलिस थाना सलेमपुर जिला दौसा हाल एएसआई, इन्चार्ज पुलिस चौकी कस्वा टोडाभीम पुलिस थाना टोडाभीम जिला करौली का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अत बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है, जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली......................कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज पुलिस, निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सीताराम पुत्र स्व. श्री नत्थीराम जाति जाटव उम्र 57 साल निवासी पावटा पुलिस थाना सलेमपुर जिला दौसा हाल एएसआई, इन्चार्ज पुलिस चौकी कस्वा टोडाभीम पुलिस थाना टोडाभीम जिला करौली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विवेक सोनी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 304 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 675-78 दिनांक 16.05.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2. पुलिस अधीक्षक, जिला करौली। 3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIVEK SONI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/05/2025 18:

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	19/07/1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)